



भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022

प्रलिस के लयः

[मोटर वाहन संशोधन अधनलनल, 2019](#), भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022, सड़क परवलहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, [एशया एवं परशांत के लयः संयुक्त राष्ट्र आरथकऱ व सामाजकऱ आयोग \(UNESCAP\)](#), [राष्ट्रीय राजमार्ग और एकसपरसेवे](#)

मेन्स के लयः

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022, वभननऱ क्षेत्रों में वकऱस हेतु सरकारी नीतयऱँ और हसतकषेप एवं उनकी रूपरेखा तथा कारयान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे ।

[सुरोतः पी.आई.बी](#)

हाल ही में सड़क परवलहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022' शीर्षक से एक रपऱरट प्रकाशतऱ की है, जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधतऱ मामलों पर प्रकाश डालती है ।


- यह रपऱरट [एशया परशांत सड़क दुर्घटना डेटा \(APRAD\)](#) आधार परयऱोजना के अंतर्गत [एशया और परशांत के लयः संयुक्त राष्ट्र आरथकऱ एवं सामाजकऱ आयोग \(UNESCAP\)](#) द्वारा प्रदान कयऱ गए मानकीकृत प्रारूपों में कैलेंडर वर्ष के आधार पर राज्यों/केंद्रशासतऱ प्रदेशों के पुलसऱ वभऱगों से प्राप्त डेटा/जानकारी पर आधारतऱ है ।
- APRAD एक सॉफ्टवेयर टूल है जसऱ वशऱष रूप से UNESCAP और उसके सदस्य देशों के लयः एशया-परशांत क्षेत्र में सदस्य देशों द्वारा सड़क दुर्घटना डेटाबेस को वकऱसतऱ करने, अद्यतन करने, बनाए रखने एवं प्रबंधतऱ करने में सहायता करने के लयः वकऱसतऱ कयऱा गया है ।

रपऱरट के प्रमुख बढऱः

- **सड़क दुर्घटनाओं की संख्याः**
 - वर्ष 2022 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जनऱमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गँवाई और कुल 4,43,366 लोग घायल हो गए ।
 - वगतऱ वर्षों की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9 परतशऱत, मृत्यु में 9.4 परतशऱत और घायल लोगों की संख्या में 15.3 परतशऱत की वृद्धऱ हुई है ।
- **सड़क दुर्घटना वतऱरणः**
 - वर्ष 32.9% दुर्घटनाएँ [राष्ट्रीय राजमार्गों और एकसपरसेवे](#) पर, 23.1% राज्य राजमार्गों पर एवं शेष 43.9% अन्य सड़कों पर हुईं ।
 - 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुईं ।
- **जनसांख्यकीय प्रभावः**
 - वर्ष 2022 में दुर्घटना का शकऱर होने वाले लोगों में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वयस्कों की संख्या 66.5% थी ।
 - इसके अतरऱकऱत 18-60 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के व्यक्तऱ सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों का 83.4% हसऱसा थे ।
- **ग्रामीण बनाम शहरी दुर्घटनाएँः**
 - वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग 68% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं, जबकऱ देश में कुल दुर्घटना मौतों में शहरी क्षेत्रों का योगदान 32% है ।
- **वाहन श्रेणऱयऱँः**
 - लगातार दूसरे वर्ष 2022 में कुल दुर्घटनाओं और मृत्यु दर दोनों में दोपहया वाहनों की हसऱसेदारी सर्वाधकऱ रही ।
 - कार, जीप और टैक्सऱयऱँ सहतऱ हलके वाहन दूसरे स्थान पर रहे ।
- **सड़क-उपयोगकर्ता श्रेणऱयऱँः**
 - सड़क-उपयोगकर्ता श्रेणऱयऱँ में कुल मृत्यु के मामलों में दोपहया सवारों की हसऱसेदारी सबसे अधकऱ थी, जो वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 44.5% व्यक्तऱयऱँ का प्रतऱनऱधऱतऱव करती है ।
 - 19.5% मौतों के साथ पैदल सड़क उपयोगकर्ताओं दूसरे स्थान पर रहे ।
- **राज्य-वशऱषऱट डेटाः**

- वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ तमिलनाडु में दर्ज़ की गईं, कुल दुर्घटनाओं में से 13.9%, इसके बाद 1.8% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (13.4%) में हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (10.6%) का स्थान रहा। लक्ष्मि हस्तक्षेपों के लिये राज्य-वशिष्ट रुझानों को समझना आवश्यक है।

Chart: 5.1 State/UT- wise distribution of number of accidents during 2021 and 2022



■ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना:

- सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
- वेनेजुएला में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर मारे गए व्यक्तियों की दर सबसे अधिक है।

भारतीय सड़क नेटवर्क की स्थिति:

- सत्र 2018-19 में भारत का सड़क घनत्व 1,926.02 प्रति 1,000 वर्ग कमी. क्षेत्र कई विकसित देशों की तुलना में अधिक था, हालाँकि सड़क की कुल लंबाई का 64.7% हिससा सतही/पक्की सड़क है, जो विकसित देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।
- वर्ष 2019 में देश की कुल सड़क की लंबाई का 2.09% हिससा राष्ट्रीय राजमार्गों का था।
- शेष सड़क नेटवर्क में राज्य राजमार्ग (2.9%), ज़िला सड़कें (9.6%), ग्रामीण सड़कें (7.1%), शहरी सड़कें (8.5%) और परियोजना सड़कें (5.4%) शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण उपाय:

■ शिक्षा के उपाय:

- सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता बढ़ाने के लिये मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- इसके अलावा मंत्रालय सड़क सुरक्षा समर्थन के संचालन हेतु विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक योजना लागू करता है।

■ इंजीनियरिंग उपाय:

- योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिज़ाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं कसभी चरणों में

सड़क सुरक्षा ऑडिट (RSA) अनिवार्य कर दिया गया है।

- मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठे यात्री के लिये एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान को अधिसूचित किया है।

■ **प्रवर्तन उपाय:**

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019।
- सड़क सुरक्षा नयिमों की इलेक्ट्रॉनिक नगिरानी और प्रवर्तन {इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा आदि के माध्यम से) के व्यवहार के लिये वसितृत प्रावधान को नरिदष्टि करना}।

सड़क सुरक्षा से संबंधति पहल:

■ **वैश्वकि:**

○ **सड़क सुरक्षा पर ब्राज़ीलिया घोषणा (2015):**

- इस घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजति सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्वकि उच्च-स्तरीय सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर कयि गए। भारत भी इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- देशों की योजना **सतत वकिस लक्ष्य 3.6** अर्थात् वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्वकि मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने की है।

○ **सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:**

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को रोकने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ **"वैश्वकि सड़क सुरक्षा में सुधार"** संकल्प को अपनाया।
- वैश्वकि योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देते हुए **सुटोकहोम घोषणा** के अनुरूप है।

○ **अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):**

- यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षति सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिये समर्पति है।

■ **भारत:**

○ **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:**

- यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलकिों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड में वृद्धि करता है।
- यह अधिनियम **मोटर वाहन दुर्घटनाओं हेतु सहायक नधि** प्रदान करता है तथा भारत में कुछ वशिष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- यह दुर्घटना के समय करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।

○ **सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007:**

- यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के वनियमन से संबंधति प्रावधान प्रदान करता है, उनकी देयता को सीमति करता है और उन्हें वतिरति कयि गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये उनकी देयता का नरिधारण कयि जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों की गलती से/जानबूझकर हुआ हो।

○ **राष्ट्रीय राजमार्ग नयित्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:**

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नयित्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नयित्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है तथा साथ ही उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान करता है।

○ **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:**

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के वकिस, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगकि मामलों से संबंधति प्रावधान प्रस्तुत करता है।